झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–15 वर्ष 2017

उपेंद्र कुमार, पे0–स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद, निवासी–सी0ओ0 महादेव साव, लोचनपुर (लखीबागी), डाकघर, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा ....
याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, टाउन और जिला–रांची के पास है।

2. सरकार के उप–सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, टाउन और जिला–रांची के पास है।

3. श्री रामजी राम प्रजापति, जिनके पिता का नाम याचिकाकर्त्ता को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में कार्यकारी अभियंता, एन0आर0ई0पी0, डालटनगंज, डाकघर और थाना–डालटनगंज, जिला–पलामू के रूप में पदस्थापित हैं।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री मनोज टंडन, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए :– श्री एल0सी0एन0 सहदेव, जी0पी0–IV

08 / दिनांकः14वीं जून, 2017

दिनांक 31.12.2016 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए, जिसके तहत याचिकाकर्त्ता को कार्यकारी अभियंता, कोडरमा के पद से कार्यकारी अभियंता, एन0आर0ई0पी0, साहेबगंज के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है, याचिकाकर्त्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. मामले की योग्यता बताने से पूर्व, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 01.05.2017 के आदेश की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कियाहै, जिसमें इस न्यायालय ने जिस तरीके से शपथ पत्र दिया गया है और उत्तरदाताओं ने मामले को रखा है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी सं0 2 को नोटिस जारी किया कि उसके खिलाफ कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए विभागीय कार्यवाही की सिफारिश क्यों नहीं की जाय। मामले की योग्यता के आधार पर, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सेवा करियर के अंतिम छोर पर उसकी सेवानिवृति से तीन महीने पहले, याचिकाकर्त्ता को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो दंडात्मक प्रकृति का है और कानूनी रूप से खराब है क्योंकि प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्त्ता के विरूद्ध कोई शिकायत या सजा का आदेश नहीं था। कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी सभी निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया कि अब याचिकाकर्त्ता सेवा से सेवानिवृत हो गया है, इसलिए, कुछ भी तय करने के लिए नहीं बचा है, लेकिन उत्तरदाताओं ने मामले को जिस तरह से रखा है, उस पर सवाल उठाया है।

3. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह सच है कि याचिकाकर्त्ता की देखरेख में किए जा रहे काम की गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई और यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री को ओ0एस0डी0 ने भी कोडरमा के निवासियों से प्रापत एक शिकायत को अग्रेषित किया था। लेकिन, विभाग ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता अपनी सेवा के अंतिम छोर पर था और एक उदार दृष्टिकोण को अपनाते हुेए याचिकाकर्त्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं करने का फैसला किया, इसलिए, कर्त्तव्य की अवहेलना के आरोप में कोई कारण बताओ कारवाई नहीं लिया जा सकता था। उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि संबंधित प्रतिवादी सं0 2 न्यायालय को होने वाली असुविधा के लिए बिना शर्त माफी मांगता है।

4. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध हलफनामों और सामग्रियों के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता 31.03.2017 को सेवा से सेवानिवृत हो गया है, इसलिए, इस मामले में फैसला सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है।

5. हालांकि, आदेश सुनाने से पहले, यह न्यायालय उत्तरदाताओं की कार्रवाई को विशेष रूप से प्रतिवादी सं0 2 का निन्दा करता है, इस तथ्य के मद्देनजर कि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए बयान को भी सच माना जाता है और याचिकाकर्त्ता के खिलाफ कोई शिकायत हुई थी, तो भी उत्तरदाताओं–अधिकारियों को याचिकाकर्त्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था या याचिकाकर्त्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान मामले में, उपलब्ध उपाय का सहारा लिए बिना

उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्त्ता को स्थानांतरित कर दिया है, जो प्रकृति में दंडात्मक है और सेवा न्यायशास्त्र नहीं माना जाता है।

6. हालांकि, चूंकि याचिकाकर्त्ता अब सेवानिवृत हो गया है, इसलिए याचिकाकर्त्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए, रिट याचिका को निष्प्रभावी होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)